संख्या 7-2/2011-एफसी-।

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

****

कृषि भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 10 अक्तूबर, 2011

आदेश

विषय:-भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय सलाहकार समितियों का गठन।

इस विभाग के दिनांक 04.09.2001 के आदेश संख्या 7-1/2000-एफसी-1 के अधिक्रमण में भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय सलाहकार समितियों के संबंध में अनुपालन हेतु निम्नलिखित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

2. उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और खाद्यान्नों की खरीद, भण्डारण और वितरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर भारतीय खाद्य निगम को परामर्श देने की दृष्टि से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सलाहकार समिति होगी।

संगठन

3(1). राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,नामत:-

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से एक संसद सदस्य, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;

(ii) खाद्य और नागिरक आपूर्ति का काम देख रहे राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का सचिव अथवा कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाए;

(iii) भारतीय खाद्य निगम का संबंधित महाप्रबंधक; और

(iv) ऐसे गैर सरकारी सदस्य जो केन्द्र सरकार द्वारा नामित किए जाएं।

3(2). सलाहकार समिति में नामित संसद सदस्य इसका अध्यक्ष होगा।

3(3). भारतीय खाद्य निगम का संबंधित महाप्रबंधक सलाहकार समिति का सदस्य सचिव होगा।

4. **भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति और कार्यकाल**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सलाहकार समिति के लिए नामित संसद सदस्य इसका अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्रालय की सिफारिशों पर की जाएगी। अध्यक्ष का कार्यकाल संसद सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

5. भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की पात्रता संबंधी मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल

5(1). केन्द्र सरकार द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्यों में अन्य के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में से प्रमुख व्यक्तियों के अलावा किसानों की एसोसिएशनों, उपभोक्ता संस्थाओं, सामाज़िक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि होंगे।

5(2). भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति विभाग में प्राप्त सिफारिशों के आधार पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के अनुमोदन से की जाएगी। अनुमादन के बाद, राज्य सरकार से सदस्य के पूर्ववृत्त को सत्यापित करने का अनुरोध किया जाएगा। पूर्ववृत्त के सत्यापन की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही भारतीय खाद्य निगम की संबंधित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य की नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के लिए होगा। किसी भी गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति दो कार्यकाल से अधिक नहीं की जाएगी।

6. भारतीय खाद्य निगम की सलाहकार समिति के कार्य

सलाहकार समिति निम्नलिखित मामलों के संबंध में चर्चा करेगी और सिफारिशें करेगी:-

(क) खाद्यान्नों की खरीद और वितरण;

(ख) खाद्यान्नों की गुणवत्ता;

(ग) खाद्यान्नों का भण्डारण;

(घ) मार्गस्थ और भण्डारण हानियां;

(ड.) अंत्योदय, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों और केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रचालित विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए खाद्यान्नों के आंबटन, उठान और वास्तविक वितरण सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में राज्य सरकार के साथ भारतीय खाद्य निगम का तालमेल;

(च) स्टाक की बिक्री और निपटान;

(छ) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय अथवा भारतीय खाद्य निगम द्वारा इसे विचारार्थ भेजा गया कोई अन्य मामला।

तथापि, सलाहकार समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य भारतीय खाद्य निगम के रोजमर्रा के कार्यों जैसे कि स्थानांतरण, तैनातियां, कार्मिक नीति, निविदा प्रक्रिया आदि पर विचार नहीं करेंगे।

7. बैठक

7(1). सामान्यत: प्रत्येक तिमाही में सलाहकार समिति की एक बैठक होगी। तथापि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पूर्वानुमोदन से सलाहकार समिति की विशेष बैठक की जा सकेगी।

7(2). सलाहकार समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा दी गई तारीख और समय पर होगी।

7(3). बैठक निर्धारित करते समय सामान्यत: सदस्यों को 15 दिन का स्पष्ट नोटिस दिया जाएगा।

7(4). सलाहकार समिति की बैठक की कार्यसूची अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित की जाएगी।

7(5). समिति के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति बैठक का कोरम पूरा करेगी।

7(6). सलाहकार समिति के सभी सदस्य बैठकों की कार्यवाहियों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेंगे।

7(7). कार्यसूची की मदों के संबंध में संगत सूचना सदस्य सचिव द्वारा सलाहकार समिति को मुहैया की जाएगी।

7(8). समिति का सदस्य सचिव अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित बैठकों के कार्यवृत्त बैठक होने के 15 (पन्द्रह) दिन के अंदर भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजेगा।

8. बैठकों का स्थान

सलाहकार समिति की बैठकें अधिमान्यत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी।

9. निरीक्षण

9(1). सलाहकार समिति को खरीद, भण्डारण और वितरण प्रचालनों का निरीक्षण करने का अधिकारी होगा। सलाहकार समिति उन गोदामों का निरीक्षण करने की भी हकदार होगी जिनके संबंध में भण्डारित खाद्यान्नों की गुणवत्ता अथवा कदाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त होंगी। सभी निरीक्षण रिपोर्टें महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम के अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय को भेजी जाएंगी।

9(2). तथापि, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति द्वारा सभी निरीक्षण एक निकाय के रूप में किए जाएंगे और किसी एक सदस्य अथवा सदस्यों के समूह द्वारा निरीक्षण की अनुमति नहीं होगी। तथापि, निरीक्षण के लिए निर्धारित सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्रम संख्या 7(5) में बैठक के कोरम के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार होगी।